*स्कूली छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने के उपाय सुझाने के लिए गठित*

# राष्ट्रीय सलाहकार समिति

## की सिफारिशों को लागू करने की संभाव्यता की जाँच करने के लिए गठित

# दल की रिपोर्ट

NIEPA DC
D07966

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

LIB... NE
Na... e of Ed... al
Plann... and Administration.
17-B, ...obindo Marg,
N... 16
D... D-7966
Da... 31-...-94

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की ओर से प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016 द्वारा प्रकाशित तथा सुप्रीम आफसैट प्रैस, K-5, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 द्वारा मुद्रित।

# स्कूली छात्रों पर शैक्षिक बोझ को कम करने के उपाय सुझाने हेतु गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने की संभाव्यता की जाँच करने के लिए गठित दल की रिपोर्ट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च, 1992 को स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने हेतु उपाय सुझाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई, 1993 को प्रस्तुत कर दी।

2. राष्ट्रीय संचालन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों की जाँच करने, उनको लागू करने की संभाव्यता तथा कार्यान्वयन के लिए समय-सूची पर अपने विचार प्रकट करने के लिए इस मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अपर सचिव, श्री वाई.एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक दल गठित करने का निर्णय लिया गया। 25 अगस्त, 1993 को दल का गठन किया गया तथा दल की संरचना तथा उसके विचाराधीन विषय को दर्शाने वाले सरकारी आदेश की एक प्रति संलग्न है। (अनुबन्ध–क)

3. दल की 23 और 24 सितंबर को दो बैठकें हुईं, जिनमें दल ने यशपाल समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जाँच की। दल ने सलाहकार ( शिक्षा ), योजना आयोग, श्री आर.सी. त्रिपाठी की सलाह का भी फायदा उठाया। विचार-विमर्श में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची अनुबंध "ख" में दी गई है। रा.शै.अ. और प्र.प. के दो वरिष्ठ पदधारियों द्वारा इसमें भाग लेने के अलावा, दल को रा.शै.अ. और प्र. प. द्वारा तैयार यशपाल समिति की रिपोर्ट की विस्तृत आलोचना का भी लाभ मिला। पाठ्यचर्या विकास, पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा स्कूली शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में रा.शै.अ. और प्र.प. जो भूमिका निभाती है, उसे ध्यान में रखते हुए यह खासतौर पर उपयोगी योगदान था।

## 4. सामान्य टिप्पणियाँ

दल द्वारा स्कूली छात्रों पर पाठ्यचर्या के बोझ के बारे में यशपाल समिति की रिपोर्ट के सहभागितापूर्ण स्वरूप की पर्याप्त मात्रा में सराहना की गई है। यद्यपि जन-संचार माध्यमों के द्वारा पाठ्यचर्या संबंधी बोझ पर वर्षों से गहन विचार-विमर्श होता रहा है, परन्तु यह विचार-विमर्श अधिकतर छात्रों द्वारा ढोए जा रहे स्कूली बैग के भौतिक बोझ तक ही सीमित रहता है। कई लोगों का यह अभिमत है कि महानगरों तथा खासकर पब्लिक स्कूलों के स्कूल-पूर्व स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों के देखे गए स्कूली बैग के आधार पर ऐसी चर्चाओं में अनेक सामान्यीकरण हैं। रिपोर्ट के प्रारंभ में भी इस बात को नोट किया गया कि "दिल्ली में किए गए एक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि पब्लिक स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के स्कूली बैग का वजन औसतन 4 किलोग्राम है जबकि दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में इसका वजन लगभग 1 किलोग्राम है।" यशपाल समिति का यह निष्कर्ष शैक्षिक प्रबंधकों की उस सूचना से मेल खाता है कि प्रथमतः गाँवों तथा छोटे कस्बों के स्कूलों में भी स्कूली बैग का बोझ कम नहीं है तथा द्वितीयतः बड़े शहरों में भी पब्लिक स्कूल तथा स्कूल-पूर्व कक्षाओं के बच्चों के मामले में ही यह समस्या सबसे अधिक उग्र रूप में है। सौभाग्य से हाल ही में ज्यादा प्रबद्ध पब्लिक स्कूलों से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वे स्कूल-पूर्व स्तर पर विषय वस्तु को आत्मसात करने तथा स्कूल-पूर्व स्तर पर कई पुस्तकें तथा उत्तर पुस्तिकाएँ ढोकर लाने की आवश्यकता पर बल नहीं दे रहे हैं। चूँकि ये स्कूल गति-निर्धारक स्कूल हैं, आशा है कि यह उदाहरण शीघ्र ही अन्य पूर्व प्राथमिक स्कूलों को प्रभावित करेगा। तदनंतर यह दल इस प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए यशपाल समिति की एक सिफारिश के अनुसरण में कुछ विशिष्ट उपायों की सिफारिश कर रहा है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान स्कूलों के बारे में "बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है परंतु बहुत कम सीखा या समझा जाता है" जैसी टिप्पणी करके यशपाल समिति ने इस समस्या को बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर लिया हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि न सीखने या समझने का बोझ ही ऐसा वास्तविक बोझ है जिसके बारे में चिन्ता की जानी चाहिए। शैक्षिक बोझ की समस्या को देखने के इस दृष्टिकोण ने यशपाल समिति की रिपोर्ट को बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया है।

साथ ही साथ दल ने यह भी नोट किया है कि कुछ बातों पर यशपाल समिति द्वारा विशिष्ट ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना में एक राष्ट्रीय कोर पाठ्यचर्या रखने की बात कही गई है तथा इनमें इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। नीति में शिक्षा के प्रति बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की बात जोरदार ढंग से प्रतिपादित की गई है। इसी का अनुसरण करते हुए रा.शै.अ. और प्र.प. द्वारा स्कूल स्तर के लिए पाठ्यचर्या ढाँचा तैयार किया गया जिसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है। रा.शै.अ. और प्र.प. द्वारा प्राथमिक स्तर की समाप्ति पर प्राप्त किए जाने वाले दक्षता के स्तरों को भी विकसित किया गया है। ये कार्य, जिनमें बहुत ज्यादा औचित्य है, ही रा.शै.अ. और प्र.प. द्वारा स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षाक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें विकसित किए जाने के आधार है। हम इस बात को मानते हैं कि रा.शै. अ. और प्र.प. द्वारा तैयार शिक्षाक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में कुछ खामियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि ये पूर्णतया अनुपयुक्त हैं या जरूरत से ज्यादा बोझिल हैं। यशपाल समिति की रिपोर्ट में इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। रा.शै.अ. और प्र.प. द्वारा पाठ्यचर्या के बोझ के संबंध में अस्सी के दशक के मध्य एक अध्ययन कराया गया, जिसमें स्कूली शिक्षा के कुछ स्तरों पर पाठ्यचर्या के जरूरत से ज्यादा बोझ की पहचान की गई तथा इस बात का उल्लेख किया गया कि शिक्षकों की अपर्याप्त दक्षता, शिक्षक दिवसों की अपर्याप्तता तथा कक्षाओं की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण पाठ्यचर्या का बोझ छात्रों तथा परोक्ष रूप से अभिभावकों पर भी पहुँच गया है। यशपाल समिति ने इस कार्य और पहले के विवरणों में उल्लिखित तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया है। यद्यपि यशपाल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों में मुख्य बातों के लिए दिया गया तर्क काफी ठोस है फिर भी रिपोर्ट की कुछ बातों के संबंध में उन आंकड़ों या आधारों का उल्लेख नहीं किया गया, जिनके आधार पर समिति द्वारा ये बातें कही गई हैं। इसी तरह कुछ सिफारिशें, यथा स्कूलों के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धन से संबंधित सिफारिश, रिपोर्ट के मुख्य भाग में किए गए विचार-विमर्श से मेल नहीं खाती है। कुछ मामलों में, यथा स्कूलों में शिक्षा माध्यम के मामले में, समिति ने अपनी रिपोर्ट के मुख्य भाग में यह उल्लेख किया है कि "समाज का शिक्षित वर्ग यह विश्वास करता है कि अंग्रेजी के ऊपर अधिकार प्राप्त

करना सामाजिक जीवन में ऊँचा उठने का रहस्य है.....यह सर्वविदित तथ्य है कि अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में पढ़ रहे छोटे बच्चे **बगैर** समझे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु को अंग्रेजी में रट लेते हैं। शिक्षण शास्त्र का यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि **बगैर** समझे जो कुछ याद किया जाता है, वह बच्चों के लिए बोझिल सिद्ध होता है। यदि पढ़ाई के माध्यम के रूप में बच्चे की मातृभाषा के अलावा अन्य कोई भाषा प्रयोग में लाई जाती है तो यह बच्चे पर शैक्षिक भार का एक बड़ा कारण होती है।" लेकिन इस जोरदार कथन के समतुल्य कोई सिफारिश नहीं की गई है। रिपोर्ट में इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया है कि हमारे अधिकांश विद्यार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण का माध्यम या तो मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा। कुल मिलाकर यह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसके पाठ्यचर्या के बोझ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है जिसके बारे में प्रायः लोगों की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके लिए समाज में पाठ्यचर्या के बोझ के बारे में वाद-विवाद के स्तर को काफी मात्रा में गुणात्मक ढंग से ऊपर उठाने के लिए वचनबद्ध है। आशा है कि इस रिपोर्ट से पाठ्यचर्या निर्धारण, पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण आदि में सार्थक तथा पर्याप्त सुधार होगा। दल यह महसूस करता है कि समस्या का स्वरूप स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर भिन्न है परन्तु समिति ने प्रत्येक स्तर की विशिष्ट समस्याओं और उनके समाधान के उपायों का विशिष्ट रूप में उल्लेख नहीं किया हैं। यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में दल के विचार निम्नलिखित हैं:

**सिफारिश सं. 1**

*कई संगठन तथा विभाग जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए स्कूली विषयों, प्रदर्शनियों, निबन्ध लेखन वक्तृता कौशल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगिताएँ आयोजित करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उसे सम्मानित करने की भावना पर ही संभवतः ये प्रतियोगिताएँ आधारित होती हैं। परंतु दुर्भाग्यवश, कुछ व्यक्तियों की क्षणिक प्रतिष्ठा की खातिर अन्य सभी पर इस गतिविधि का अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत उपलब्धि को पुरस्कृत करने वाली प्रतियोगिताओं को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है क्योंकि ये बच्चों को आनंददायक शिक्षा से वंचित करती हैं। तथापि स्कूलों में सहयोग पर आधारित अध्ययन प्रणाली को*

*बढ़ावा देने के लिए सामूहिक गतिविधियों तथा सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।*

**टिप्पणियाँ**

दल का यह अभिमत है कि सामूहिक कार्यकलाप और व्यक्तिगत प्रयास अलग-अलग या परस्पर विरोधी नहीं हैं। व्यक्तिगत उपलब्धि को पुरस्कृत करने से सीखने का उत्साह कम नहीं होता है, बल्कि उच्च उपलब्धि के लिए प्रोत्साहित करने का यह साधन होता है। दल की राय में व्यक्ति तथा समूह के सदस्य दोनों रूपों में छात्रों के अच्छे निष्पादन को शैक्षिक प्रणाली द्वारा बढ़ावा मिलना चाहिए।

**सिफारिश सं. 2 ( क )**

*पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी चाहिए ताकि इन कामों में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि हो सके। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है–राज्य स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत जिला स्तरीय बोर्डों या अन्य संबद्ध निकायों तथा स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों को स्थानीय परिवेश की जरूरतों के अनुकूल पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने की पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य सामग्रियों के सभी पहलुओं में नवाचार के लिए सभी स्कूलों को प्रोत्साहित करना चाहिए।*

**टिप्पणियाँ**

दल ने यह नोट किया कि शिक्षकों को शामिल करते हुए और शिक्षकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम का निर्माण रा.शै. अ. और प्र. परिषद् द्वारा किया जाता है तथा राज्य स्तर पर यह कार्य राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों/ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाता हैं। तथापि, इस कार्य में लगे शिक्षकों की संख्या समिति या बोर्ड के सदस्यों की संख्या तक ही सीमित है। यशपाल समिति ने पाठ्यचर्या के निर्माण के कार्य में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर ठीक ही बल दिया है। दल ने यह महसूस किया है कि हालांकि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर समिति के आकार में एक सीमा से

अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है, तथापि, शिक्षकों की भागीदारी में सुधार लाने का सार्थक तरीका यह हो सकता है कि या तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/ केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड/ राज्य बोर्ड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यक्रम के प्रारूप को तैयार करें तथा उसके निर्धारण के पश्चात् क्षेत्रीय अथवा जिला स्तर पर शिक्षकों के निकाय द्वारा विचार-विमर्श करके उसे अंतिम रूप दें। एक विकल्प यह हो सकता है कि क्षेत्रीय तथा जिला स्तरों पर कई पाठ्यचर्याएँ तैयार करायी जाएँ, जिनके आधार पर राज्य/ राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम पाठ्यचर्या तैयार की जा सकती है। फिर भी दल ने जिला या स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या या पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के कार्य में विकेन्द्रीकरण की सिफारिश नहीं की है क्योंकि राष्ट्रीय अस्मिता तथा भारत की सामाजिक संस्कृति को सही ढंग से प्रस्तुत करना कठिन हो जाएगा। इन परिस्थितियों में देश के सभी भागों में न्यूनतम मानदंडों का पालन करना कठिन भी ही सकता है।

पाठ्यपुस्तकों के संबंध में, यशपाल समिति के विचारों से दल सहमत है कि पाठ्यपुस्तकों विशेषकर निचली कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने का प्राथमिक दायित्व शिक्षकों का ही होना चाहिए। तथापि, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वर्ष 1960 के प्रारंभ से ही विशेषज्ञों को शामिल करने से स्कूली पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उन्होंने अनावश्यक बातों को छाँटकर ज्ञान के अनुरूप नए परिप्रेक्ष्यों को शामिल करने में मदद की। तथापि, दल यशपाल समिति की इस बात से इत्तफाक रखता है कि वर्तमान समय में अनेक पाठ्यपुस्तकों में शहरी मध्यवर्गीय जीवन की प्रधानता है। इसलिए दल ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

( क ) पाठ्यपुस्तकों को लिखने का कार्य यथासंभव स्कूली शिक्षकों को तथा इस क्षेत्र में व्यावसायिक सुविज्ञता विकसित करने वाले व्यक्तियों को ही सौंपा जाना चाहिए। विषय-सामग्री विशेषज्ञों को परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्वस्तु की संवीक्षा तथा विषय-वस्तु के प्रस्तुतीकरण के लिए सलाहकारों या परामर्शदाताओं के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

( ख ) ऐसे राज्यों में जहाँ सुस्पष्ट सामाजिक-भौगोलिक क्षेत्र हैं, पाठ्यपुस्तकों के समान अध्ययन लक्ष्यों वाले पृथक तथा समानांतर सैट तैयार करने

चाहिए तथा इस प्रकार के सुस्पष्ट सामाजिक-भौगोलिक क्षेत्रों के स्कूलों में उनका उपयोग होना चाहिए।

( ग ) पाठ्यपुस्तक तैयार करने वाली एजेंसियों द्वारा विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण दिए जाने का सचेतन प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों का एक विशाल समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है।

( घ ) पाठ्यपुस्तक तैयार करने वाले अभिकरणों को समयबद्ध ढंग से सभी पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्थित संवीक्षा करनी चाहिए ताकि पाठ्यपुस्तक में शामिल हो गई किसी महत्वहीन सामग्री को निकाला जा सके। इसी प्रकार इस संवीक्षा में पिछली कक्षाओं में शामिल किए गए विषयों की पुनरावृत्ति को रोके जाने का प्रयास होना चाहिए।

( ङ ) दल ने यह नोट किया कि कुछ मामलों में कुछ कक्षाओं में विषयों के पाठ्यपुस्तकों की भाषा उसी कक्षा में भाषा की पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की तुलना में कहीं अधिक दुरूह और कठिन होती है। इसलिए दल की यह सिफारिश है कि पाठ्यपुस्तक लिखनेवाले प्रत्येक दल में एक भाषा शिक्षक को भी शामिल किया जाना चाहिए जो पाण्डुलिपि की विधीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्यपुस्तक की विषय सामग्री के लिए प्रयुक्त भाषा उस कक्षा के लिए तैयार की गई भाषा की पाठ्यपुस्तक की भाषा से अधिक कठिन न हो। पाठ्यचर्या पूरा करने तथा शिक्षण सामग्री के संबंध में दल ने यह नोट किया कि परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से स्कूलों और शिक्षकों पर पहले से ही कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तव में, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में इस बात की लगातार वकालत की गई है और अनेक संगठनों ने इसे बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। यह कहना अनावश्यक है कि शिक्षण पद्धतियाँ तथा शिक्षण समितियों के उपयोग के संबंध में स्कूलों और शिक्षकों को भरपूर नवीकरण करने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।

**सिफारिश सं. 2 ( ख )**

*पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य में, औपचारिक या अनौपचारिक प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक नवाचार के लिए विशेष स्वीकारोक्ति के साथ स्वयं सेवी संगठनों को अधिक स्वतन्त्रता और*

*सहायता दी जानी चाहिए। ऐसे संगठनों के अनुभवों के व्यापक प्रसार के लिए एक उपयुक्त और पर्याप्त मशीनरी को विकसित करना चाहिए।*

**टिप्पणियाँ**

दल इस बात से पूर्णतया सहमत है कि शिक्षा के प्रति समर्पित स्वैच्छिक संगठनों को सभी संभव तरीकों से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दल ने यह भी नोट किया कि राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर सरकारों ने, पिछले कुछ वर्षों में, इस प्रकार के सहयोग को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया है। इस प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखने की आवश्यकता है। तथापि, 2 ( क ) में उल्लिखित कारणों से दल पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के कार्य को इस हद तक विकेन्द्रीकृत करने के पक्ष में नहीं है कि इसे स्वयं सेवी संगठनों को सौंप दिया जाए क्योंकि यह संवेदनशील मामला है।

**सिफारिश सं. 2 ( ख )**

*हम ग्राम, खंड तथा जिला स्तरों पर अपने न्यायाधिकरण के अंतर्गत स्कूलों की आयोजना तथा निरीक्षण के दायित्व को लेने के लिए शिक्षा समितियों के गठन के विचार का समर्थन करते हैं।*

**टिप्पणियाँ**

यह सिद्धांततः स्वीकार करने योग्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 10.8 में इसकी जोरदार वकालत की गई है। पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकरण के लिए संवैधानिक संशोधन के अनुसरण में स्थानीय समितियों की अपेक्षित सहभागिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की जाँच करने और सिफारिश करने के लिए, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ( केब ) में शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर पहले से ही एक समिति गठित कर दी है। इसलिए केब समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखकर इस सिफारिश का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

**सिफारिश सं. 2 (घ)**

*शैक्षिक उपकरणों की खरीद, मरम्मत तथा बदलाव के लिए स्कूल प्रधानाचार्य के*

*अधिकार में पर्याप्त आकस्मिक राशि ( स्कूल के कुल वेतन बिल के 10% से कम न हो ) का प्रावधान होना चाहिए।*

**टिप्पणियाँ**

यह स्वीकार करने योग्य है। राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों तथा अपनी-अपनी स्कूल शृंखला ( केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल, रेलवे स्कूल तथा सैनिक स्कूल तथा रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित अन्य स्कूल ) को नियंत्रित करने वाले केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकायों से यह आग्रह किया जाना चाहिए कि वे स्कूल भवनों की मरम्मत करने, शैक्षिक उपकरणों तथा पुस्तकों की खरीद, मरम्मत तथा बदलाव और नवाचारी परियोजनाओं को चालू करने संबंधी प्राधिकार स्कूलों के प्रधानाचार्यों/ प्रधानाध्यापकों को प्रदान करें, लेकिन शर्त यह हो कि इन पर स्थानीय शिक्षा समितियों का नियंत्रण हो। स्कूलों पर नियंत्रण रखने वाले संगठनों और राज्य सरकारों को स्पष्ट ढंग से यह विनिर्दिष्ट करना चाहिए कि स्कूल के प्रमुख को इन उद्देश्यों के लिए धन खर्च करने के लिए किसी उच्च शैक्षिक प्राधिकरण तथा स्कूल प्रबंध/ सलाहकार समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

**सिफारिश सं. 3**

*पाठ्यपुस्तक निर्माण की संस्कृति में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि पाठ्यपुस्तकों के लेखन में अधिक अध्यापक भाग ले सकें। विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों को पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के काम में पुस्तकों के लेखक के रूप में नहीं, बल्कि परामर्शकों के रूप में शामिल किया जाए। प्रबुद्ध एवं नवाचारी शिक्षकों को इस संबंध में पहल करनी चाहिए तथा इन शिक्षकों को पुस्तक लेखन कार्य में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।*

**टिप्पणियाँ**

दल शिक्षकों की और अधिक भागीदारी से संबंधित इस सिफारिश के आशय से सहमत है तथा इस सिफारिश पर दल की राय टिप्पणी सं. 2 ( क ) में शामिल है।

**सिफारिश सं. 4**

*विभिन्न राज्यों में स्कूली शिक्षा ( पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा परीक्षा ) की कम से कम तीन प्रणालियाँ एक साथ चल रही हैं। प्रत्येक राज्य में अधिकांश स्कूल राज्य शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। जबकि कुछ स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से संबद्ध हैं। दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को उच्च वर्गीय स्कूलों के रूप में काफी प्रतिष्ठा प्राप्त है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम राज्य बोर्डों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है जिसके फलस्वरूप अधिकांश बच्चों के लिए शिक्षाक्रम भारी हो जाता है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों तक ही सीमित रखा जाए तथा अन्य सभी विद्यालय राज्य बोर्डों से ही सम्बद्ध होने चाहिए।*

**टिप्पणियाँ**

दल यशपाल समिति द्वारा इस सिफारिश के संबंध में दिए गए तर्कों से सहमत नहीं है। स्कूलों के पास शैक्षिक बोर्डों का जो विकल्प है, वह पहले से ही बहुत सीमित है। कोई स्वतंत्र विकल्प नहीं है। राज्य सरकार के अनुमोदन से ही संबद्धन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, यदि देश के किसी भी भाग में स्थित स्कूल को किसी एक बोर्ड या दूसरे बोर्ड से सम्बद्धन के चयन की छूट प्रदान की जाती है तो यह आमतौर पर शिक्षा के लिए उत्तम है। जहाँ तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सम्बन्ध है, यह पाठ्यचर्या के विकास और पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के कार्य के लिए रा.शै.अ. और प्र.परिषद् पर बहुत अधिक निर्भर है तथा रा.शै.अ. और प्र.परिषद् राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचे के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचे में दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करती है। रा.शै.अ. और प्र. परिषद् द्वारा देश में विद्यमान मानकों, विद्यार्थियों की क्षमता तथा विकसित देशों के मानकों को ध्यान में रखना उचित है क्योंकि पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों में इन सभी बातों का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि रा.शै.अ. और प्र. परिषद् की कुछ पुस्तकों में अनावश्यक सामग्री है तो उसे हटा लिया जाना चाहिए, जैसा कि दल में पूर्ववर्ती सिफारिशों में

सुझाव दिया है। तथापि, इस आरोप की पुष्टि के लिए लिखित रूप में पर्याप्त सामग्री नहीं है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यचर्या या रा.शै.अ. और प्र. परिषद् की पुस्तकें अपने आप में आवश्यकता से अधिक भारी होती हैं। यशपाल समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धन को केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों तक ही सीमित कर दिया जाना चाहिए तथा दूसरे स्कूलों को सम्बन्धित राज्य बोर्डों से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। यदि केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धन अच्छा है तो वह दूसरे स्कूलों के लिए बुरा कभी नहीं हो सकता।

**सिफारिश सं. 5 (क)**

*नर्सरी स्कूल खोलने तथा उनके संचालन को विनियमित करने के लिए उचित कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय अपनाए जाएँ। इन स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए आवास, स्टाफ, उपकरण तथा खेल सामग्री के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित किए जाएँ। यह सुनिश्चित किया जाए कि ये संस्थाएँ पढ़ाई, लिखाई तथा गणित की औपचारिक शिक्षा के रूप में छात्रों पर शिक्षा का अधिक बोझ लादकर उन पर अत्याचार न करें। नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए परीक्षण तथा साक्षात्कार का प्रचलन बन्द किया जाए।*

**सिफारिश सं. 5 (ख)**

*प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने हेतु निर्धारित मानदण्डों को अधिक कड़ा बनाया जाए। ऐसा करने से एक ओर जहाँ शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बढ़ते हुए व्यापारीकरण पर अंकुश लगाने में भी सफलता मिलेगी। इस प्रकार विकसित किए गए मानदण्ड समान रूप से राजकीय संस्थाओं सहित सभी स्कूलों पर लागू हों।*

**टिप्पणियाँ [5 (क) और (ख)]**

दल इन सिफारिशों से सहमत है। यद्यपि, रा.शै.अ. और प्र.प. ने पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए स्टाफ पाठ्यचर्या के स्वरूप तथा शैक्षिक सामग्री से सम्बन्धित कुछ मानदण्ड तैयार किए हैं, तथापि, देश में शिक्षा का यह क्षेत्र अधिकांशतः अपर्यवेक्षित और अविनियमित है। यह तथ्य भी सर्वविदित है

कि इनमें से अधिकांश स्कूल छात्रों पर विभिन्न विषयों के औपचारिक शिक्षण का भार डाल रहे हैं। दल सलाह देता है कि देश में एक समुचित विनियामक तंत्र शीघ्र ही गठित किया जाना चाहिए, जिससे इस स्तर पर खेल-खेल विधि से अध्ययन को सुनिश्चित किया जा सके और विषयों के औपचारिक शिक्षण को सावधानी से रोका जाना चाहिए। इसी प्रकार, दल इस बात से सहमत है कि निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के लिए मान्यता तथा सम्बद्धन के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं के अभाव वाले स्कूलों को कार्य करने की अनुमति न दी जा सके क्योंकि वास्तव में इसका अर्थ छात्रों को दण्ड देना है। यद्यपि, स्कूलों को मान्यता तथा सम्बद्धन प्रदान करने की ठीक व्यवस्था है, परन्तु बाह्य दबाव के कारण, कभी-कभी, इन मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता है। दल का सुझाव है कि एक ऐसे कानून को बनाने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए जिसमें स्कूलों में सुविधाओं के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हों और सुविधाओं से रहित स्कूलों में शिक्षण-कार्य को बंद करने की शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान हो।

**सिफारिश सं. 6**

*छोटे बच्चों को प्रतिदिन भारी बस्ते स्कूल लाने के लिए बाध्य करके उन्हें उत्पीड़ित करने का कोई औचित्य नहीं है। पाठ्यपुस्तकों को स्कूली संपत्ति समझा जाए। इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को खरीदने तथा उन्हें प्रतिदिन घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। गृह-कार्य के लिए तथा स्कूल में पाठ्यपुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं के प्रयोग के लिए अलग से समय-सारिणी बनाई जाए जिसकी जानकारी बच्चों को अग्रिम रूप से दी जाए।*

**सिफारिश सं. 7**

*गृह-कार्य की प्रकृति तथा स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह-कार्य (होमवर्क) न दिया जाए। उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में जहाँ गृह-कार्य आवश्यक हों वहाँ पाठ्यपुस्तक से हटकर गृह-कार्य दिया जाए तथा घर पर जब*

*गृह-कार्य करना जरूरी हो तो बारी-बारी के आधार पर पाठ्यपुस्तकें बच्चों को उपलब्ध कराई जाएँ।*

**टिप्पणियाँ**

दल पहले से ही सहमत है कि स्कूल-पूर्व स्तर पर विषयों का कोई औपचारिक शिक्षण नहीं होना चाहिए। दल यह भी महसूस करता है कि प्राथमिक स्तर ( कक्षा I-V ) पर कोई गृह-कार्य और परियोजना कार्य नहीं होना चाहिए। तथापि, यह बात कहना एक तरह से अति है कि पाठ्यपुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब देश के अधिकांश स्कूलों के पास न तो वित्तीय संसाधन हैं और न हीं भंडारण की क्षमता है, पाठ्यपुस्तकों की खरीद करने तथा इनके भंडारण से स्कूलों पर वित्तीय भार तो पड़ेगा ही। इसके अलावा बच्चे पाठ्यपुस्तकों को अपने घरों पर पढ़ने के अवसर से भी वंचित हो जाएँगे। देश के अधिकांश स्कूली छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकें पठन सामग्री का एकमात्र स्रोत होती हैं। दल सिफारिश करता है कि उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर समय-सारिणी इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए कि प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय पढ़ाया जाना अपेक्षित न हो।

**सिफारिश सं. 8**

*शिक्षक-छात्र के मौजूदा अनुपात ( अर्थात् 1:40 ), को लागू किया जाए तथा कम से कम प्राथमिक कक्षाओं में इसे घटाकर 1:30 किया जाए तथा इसके आधार पर शिक्षा की भावी योजनाएँ बनाई जाएँ।*

**टिप्पणियाँ**

दल सहमत है कि उच्चतर शिक्षक-शिष्य अनुपात से शिक्षण एवं शिक्षा के मानकों में सुधार होगा। दल का मत है कि देश के अधिकांश भागों में वास्तविक मौजूदा शिक्षक-शिष्य अनुपात लगभग 1:40 का है। एक निश्चित समय के भीतर इस अनुपात को 1:30 करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। बड़ी संख्या में अतिरिक्त शिक्षकों को शामिल किए जाने की जरूरत के कारण, अनुपात में इस प्रकार के परिवर्तन से अत्यधिक वित्तीय कठिनाई होगी और इसलिए, इसको एक समयावधि में ही किया जा सकता है।

**सिफारिश सं. 9**

*देश में बाल केन्द्रित सामाजिक वातावरण निर्माण के लिए इलैक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। "कृषि दर्शन" कार्यक्रम की तरह से छात्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के लिए "शिक्षा दर्शन" नामक एक नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाए।*

**टिप्पणियाँ**

शिक्षा के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का अधिकाधिक उपयोग शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने का एक आवश्यक अंग है। दूरदर्शन पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक नियमित कार्यक्रम काफी स्वागत योग्य है। दल ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग ने 15 अथवा 16 चैनलों में से शिक्षा के लिए एक चैनल आबंटित करने के लिए पहले ही अनुरोध किया है, जो कि इनसैट 2-ए के चालू होने से हाल ही में उपलब्ध हुए हैं। दल ने इस सुझाव पर जोर दिया है कि एक शैक्षिक चैनल शीघ्र ही संचालित किया जाना चाहिए और इस चैनल में यशपाल समिति द्वारा सुझाए गए स्वरूप के कार्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए।

**सिफारिश सं. 10 (क)**

*शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी के कारण स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असन्तोषजनक रही है। बी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम में माध्यमिक, प्रारंभिक अथवा नर्सरी स्तर पर शिक्षण हेतु विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रावधान होना चाहिए। स्नातक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् बी.एड. कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष अथवा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् इसकी अवधि 3-4 वर्ष की जाए। स्कूल शिक्षा में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषय-वस्तु का पुनःनिर्माण किया जाए तथा इसे अधिकाधिक व्यवहार केन्द्रित बनाया जाए। इन कार्यक्रमों में इस बात पर जोर दिया जाए कि प्रशिक्षणार्थी स्वतः शिक्षण तथा स्वतंत्र चिन्तन की योग्यता प्राप्त कर सकें। व्यावसायिक पाठ्यक्रम होने के कारण सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम गहन तथा उच्च स्तरीय होना चाहिए। अतः पत्राचार के माध्यम से प्रचलित*

*बी.एड. डिग्री के पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त की जानी चाहिए।*

**टिप्पणियाँ**

प्रारंभिक अथवा माध्यमिक शिक्षा पर आधारित एक बी.एड. पाठ्यक्रम रखने के संबंध में यशपाल समिति द्वारा प्रस्तुत तर्क में काफी अच्छाइयाँ हैं। वस्तुतः महानगरों में, बी.एड. योग्यता वाले शिक्षकों को बड़ी तादाद में स्कूल-पूर्व तथा प्रारंभिक स्कूलों के लिए भर्ती किया जा रहा है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में भी भर्ती वस्तुतः बी.एड. योग्यता पर आधारित है। इसलिए, इस वास्तविकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है और माध्यमिक अथवा प्रारंभिक अथवा स्कूल-पूर्व शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके बी. एड. पाठ्यक्रम में केवल माध्यमिक शिक्षा पर बल देने की मौजूदा प्रथा को छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को तैयार करने के लिए डी.आई.ई.टी. सहित विद्यमान व्यवस्थाओं को भी जारी रखने तथा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रदान की जा रही बी.एड. डिग्री की मान्यता समाप्त करने के लिए यशपाल समिति की सिफारिश अधिक समस्यात्मक है। यद्यपि, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् ने इस आशय की पहले ही सिफारिशें की थीं, और इसी आधार पर वि.अ.आ. पिछले 10 वर्षों से संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ तालमेल बिठाता आ रहा है, तथापि, इस प्रकार के पाठ्यक्रम जारी हैं। हाल ही में वि.अ.आ. की एक विशेषज्ञ सोमेति ने व्यक्त किया है कि बी.एड. के पत्राचार पाठ्यक्रम से महिला उम्मीदवारों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए जीविका के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। अनेक देशों में भी पत्राचार पाठ्यक्रम के मॉध्यम से बी.एड. दूरस्थ प्रणाली के प्रमुख पाठ्यक्रमों में से एक है। इन तर्कों की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। दल इस बात को समझता है कि यह मामला वि.अ.आ. में विचार-विमर्श के उन्नत स्तर पर है। इसके अलावा निकट भविष्य में सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् ( एन.सी.टी.ई. ) के चालू हो जाने की आशा है। दल सिफारिश करता है कि यह मामला समुचित निर्णय के लिए वि.अ.आ. तथा एन.सी.टी.ई. के पास भेजा जाना चाहिए।

**सिफारिश सं. 10 (ख)**

*शिक्षकों की सतत् शिक्षा को स्थायी कार्यक्रम के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य कार्यकलापों की व्यवस्थित रूप से रूपरेखा तैयार की जाए तथा कल्पनाशीलता से उन्हें संचालित किया जाए।*

**टिप्पणियाँ**

शिक्षकों की सतत् शिक्षा के संबंध में यशपाल समिति द्वारा किया गया और जोर पूर्णतया दोष रहित है। देश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना मुख्यतः इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जा रही है। देश में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली भी विकसित की जा रही है, जिसका उपयोग सेवाकालीन शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तथापि, इस संबंध में प्रगति धीमी रही है। दल शिक्षकों के नियमित और आवधिक सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता से पूर्णतया सहमत है और यह सुझाव देता है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ( डायट्स ) को यथाशीघ्र चालू किया जाए और शिक्षा की दूरस्थ प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जा सके।

**सिफारिश सं. 11**

*दसवीं तथा बारहवीं कक्षा के अन्त में ली जाने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं की समीक्षा की जाए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाए की मौजूदा पाठ्यपुस्तक आधारित तथा "प्रश्न मंच" प्रकार के प्रश्नों के स्थान पर संकल्पना आधारित प्रश्नों की व्यवस्था की जाए। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तथा बच्चों की रटने की विवशता से मुक्ति दिलाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किया गया यह एक प्रयास ही पर्याप्त है।*

**टिप्पणियाँ**

दल यह महसूस करता है कि यशपाल समिति द्वारा जो संकल्पना आधारित

प्रश्नों का उल्लेख किया गया है उसमें उच्चतर योग्यता वाले प्रश्नों के ज्यादा महत्व की वकालत की गई है। दल इस बात से सहमत तो है परंतु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मूल्यांकन करते समय विभिन्न प्रकार की योग्यताओं की जाँच होनी चाहिए न कि एक प्रकार की योग्यता की। अतः इस दल का यह भी अभिमत है कि स्कूल शिक्षा बोर्डो को शिक्षण की सम्पूर्ण अवधि के दौरान सतत् और व्यापक मूल्यांकन पर बल देना चाहिए जिसमें शिक्षा के विद्वतापूर्ण तथा गैर विद्वतापूर्ण पहलू शामिल हों, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पैरा 8.24 (iii) में निर्धारित किया गया है।

**सिफारिश सं. 12 ( क )**

*सभी स्कूल कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रमों की जाँच करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक परियोजना दल गठित किया जाए जिसकी सहायता के लिए कुछ उपदल नियुक्त किए जा सकते हैं। उपदलों से यह अपेक्षा की जाए कि वे निम्नलिखित पहलुओं का निर्णय करें :*

*(i) पढ़ाए जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम विषय,*

*(ii) प्रत्येक विषय में शामिल की जाने वाली संकल्पनाओं की न्यूनतम संख्या,*

*(iii) एक वर्ष में उपलब्ध कुल कार्य दिवसों में शिक्षक द्वारा सुगमतापूर्वक न्यूनतम संकल्पनाओं के शिक्षण हेतु कुल अपेक्षित समय।*

**टिप्पणियाँ**

I से V तक की कक्षाओं के लिए भाषा ( मातृ-भाषा ) गणित तथा पर्यावरण अध्ययन के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर ( एम.एल.एल. ) राष्ट्रीय स्तर पर 1990 में तैयार किए जा चुके हैं। रा.शै.अ. और प्र. परिषद्, स्कूल शिक्षा बोर्डों तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों ने प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर शुरू करने के लिए अपने-अपने संसाधन विकसित कर लिए हैं। अतः उक्त प्रयोजन के लिए दूसरा परियोजना दल गठित करना परिहार्य पुनरावृत्ति होगा। दल का अभिमत है कि यद्यपि कार्य योजना, 92 के पैरा 5.4.5 (vii) और पैरा 21.3.1 ( क ), में उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित करने की माँग की गई है तथा कार्य योजना, 1992 के पैरा 21.3.1 ( ख ) में

बोर्डों से यह आग्रह किया गया है कि वे IX से XII तक की कक्षाओं में उपलब्धियों के सम्भावित स्तर निर्धारित करें लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर और इससे ऊपर के स्तरों पर न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित करने की उपयुक्तता पर पुनः विचार किया जाए क्योंकि प्राथमिक स्तर के बाद ज्ञान के आधार में तेज गति से वृद्धि की परिकल्पना की जाती है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर और इससे ऊपर के स्तर पर बदले विषय अध्ययन पर बल देने के साथ-साथ प्राथमिक स्तर के बाद एक समान न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित करने का विचार व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। तथापि, पाठ्यचर्या का नवीकरण करने तथा पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के समय पाठ्यचर्या/ पाठ्यपुस्तक निर्माताओं को व्यवस्थित ढंग से इस बात की जाँच करनी चाहिए कि क्या इन सबको शिक्षकों की उपलब्ध पढ़ाई के घण्टों में पढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर रा.शै. अ. और प्र. परिषद् और राज्य स्तर पर राज्य बोर्ड, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एस.आई.ई.ई. स्कूल पाठ्यचर्या/ स्कूल पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की वांछनीयता पर विचार कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न कक्षाओं में गैर अनिवार्य विषयों और अवधारणाओं की पुनरावृत्ति को कम से कम किया जा सके किन्तु ज्ञानात्मक विकास की आवश्यकता बनाई रखी जाए।

**सिफारिश सं. 12 (ख)**

*आधारभूत गणितीय संकल्पनाओं को सीखने की गति को धीमी करने हेतु देश के सभी भागों में प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए तथा गणित पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु का इस प्रकार से विस्तार किया जाए कि उसमें संख्या ज्ञान के साथ-साथ स्थान, आकृति तथा समस्या समाधान की इसमें सम्मिलित किया जा सके। बच्चों के गणित कौशल को तेज करने हेतु प्रारंभिक गणित के पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यपुस्तकों में संकल्पनाओं को समझने तथा उनके विवेकपूर्ण उपयोग के स्थान पर मात्र नियमों को यंत्रवत सिखाने का प्रचलन है। भावी पाठ्यक्रमों में इस प्रवृत्ति को समाप्त करने का प्रयास करना होगा।*

**टिप्पणियाँ**

**बल** इस सिफारिश से सहमत है कि गणित तथा अन्य विषयों के पाठ्यचर्या

की समीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए की जानी चाहिए कि क्या उन पर पढ़ाई का अत्यधिक भार हैं। परन्तु इस स्तर पर समिति यह बताना नहीं चाहेगी कि वास्तव में उन पर पढ़ाई का अत्यधिक भार है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाए गए न्यूनतम शिक्षण स्तरों की अब जाँच की जा रही है तथा सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर पुनरीक्षा के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि पूर्ववर्ती सिफारिशों में उल्लेख किया गया है, पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की क्षमता और विकसित देशों के स्तरों को ध्यान में रखकर तैयार करना होगा। तथापि दल यशपाल समिति के इस कथन से सहमत है कि पाठ्यक्रम को बिना समझे रट लेने के बजाए समझ और बुद्धि के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए।

**सिफारिश सं. 12 ( ग )**

*भाषा की पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय एवं बोलचाल के मुहावरे को उचित स्थान दिया जाए। भावी पाठ्यपुस्तकों में बच्चों की जीवन अनुभूतियों, काल्पनिक कहानियों, कविताओं तथा देश के विभिन्न भागों के सामान्य जन जीवन को प्रतिबिम्बित करने वाली कहानियों को यथेष्ट रूप से निरूपित किया जाए। पांडित्यपूर्ण तथा कठिन और बोझिल भाषा का प्रयोग न किया जाए।*

**टिप्पणियाँ**

**में सिफारिशें स्वीकार करने योग्य हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा सी.बी.एस.ई. और सी.आई.एस.सी.ई. सहित बोर्डों को** इन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी भाषा की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करनी चाहिए।

**सिफारिश सं. 12 ( घ )**

*प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में आज की तुलना में प्रयोग करने की अधिक गुंजाइश होनी चाहिए। स्वास्थ्य तथा सफाई जैसे विषयों में कोरे उपदेशों के स्थान पर पाठ्यपुस्तकों में वास्तविक जीवन की घटनाओं से संबंधित विश्लेषणात्मक चिन्तन पर जोर दिया जाए। प्राथमिक स्तर की विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में जो निरर्थक और महत्वहीन सामग्री शामिल की गई है उसे हटा दिया जाए।*

टिप्पणियाँ

दल ने पहले ही अपने विचार प्रकट किए हैं कि महत्वहीन सामग्री और पुनरावृत्ति को हटाने के लिए सभी वर्तमान पाठ्यपुस्तकों की समयबद्ध पद्धति में जाँच की जानी चाहिए। दल इस सिफारिश का समर्थन करता है कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोग की अधिक से अधिक गुंजाइश होनी चाहिए। इसे सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के विस्तृत कार्यक्रम के माध्यम से सुव्यवस्थित ढंग से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

**सिफारिश सं. 12 ( ङ )**

*माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में प्राकृतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम में शामिल अधिकांश विषय-वस्तु को ऐसे प्रयोगों अथवा कार्यकलापों से जोड़ा जा सके जिन्हें बच्चे तथा शिक्षक स्वयं करें।*

टिप्पणियाँ

दल का यह विचार है कि जबकि सभी स्तरों पर प्रयोग तथा क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, उच्च स्तरों पर विज्ञान संबंधी पाठ्यचर्या में विषयों का चयन इस कसौटी द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वे प्रयोग आदि से जुड़े हुए हैं। तथापि, यह देखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो, विषय के अनुसार प्रयोगों और क्रियाकलापों को उच्च स्तरों पर भी विज्ञान अध्ययन का एक अंग बनाया जाए।

**सिफारिश सं. 12 ( च )**

*इतिहास तथा भूगोल के अलावा छठी से आठवीं तथा नौवीं और दसवीं कक्षाओं के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में हमारी सामाजिक-राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के दर्शन तथा कार्यविधि की जानकारी दी जाए ताकि छात्र सामाजिक, आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं और प्राथामेकताओं का विश्लेषण कर उन्हें आत्मसात् कर सकें। इतिहास के पाठ्यक्रम में पुनरावृत्ति के स्वरूप को बदला जाए। प्राचीन काल के इतिहास का व्यवस्थित अध्ययन माध्यमिक कक्षाओं ( 9 तथा 10 ) के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। छठी से आठवीं कक्षाओं के इतिहास*

*पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के घटनाक्रम पर प्रकाश डाला जाए। आज जिस रूप में नागरिकशास्त्र की शिक्षा दी जाती है उससे बच्चों की स्मरण शक्ति पर भारी दबाव पड़ता है। अतः वर्तमान रूप में नागरिकशास्त्र को समाप्त किया जाए तथा उसके स्थान पर सामयिक अध्ययन को रखा जाए। भूगोल का अध्ययन समसामयिक वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए।*

## टिप्पणियाँ

जहाँ तक समिति की इस सिफारिश का संबंध है कि कक्षा VI-VIII के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के विकासों पर बल दिया जाना चाहिए, दल इस बात को ध्यान में रखने का सुझाव देता है कि कक्षा VIII के अन्त में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं जो कि अनिवार्य शिक्षा का अंतिम वर्ष भी है और इसीलिए यह शैक्षिक दृष्टि से अच्छा नहीं होगा कि बड़ी संख्या में हमारे बच्चे स्वतंत्रता संग्राम के पहले की भारत की संपूर्ण विरासत को भुला दें। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति चक्रीय दृष्टिकोण ( स्पायरल एप्रोच ) को पुनरावृत्ति समझ बैठी है जबकि चक्रीय दृष्टिकोण पाठ्यक्रम निर्माण के सुव्यवस्थित सिद्धांत पर आधारित है। जिससे विचार अरुचिकर, बोझिल और निरर्थक हो जाते हैं। दल यह महसूस करता है कि भूगोल में समकालीन समस्याओं के अध्ययन को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। "नागरिकशास्त्र" को "समकालीन अध्ययन" में बदलने के संबंध में समिति की सिफारिश का संदर्भ या उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है।

## दल के अतिरिक्त सुझाव

यशपाल समिति ने कई विचारोत्तेजक सिफारिशें की हैं जिन पर इस दल ने और अधिक विशिष्ट तरीके से कार्यान्वयन हेतु सिफारिश करने का प्रयास किया है। यदि वे कुशलतापूर्वक कार्यान्वित की जाती हैं तो स्कूल की शिक्षा का स्तर निःसन्देह रूप से सुधरेगा और जैसा कि यशपाल समिति ने परिकल्पना की है, शिक्षा से छात्रों की विमुखता और उनके ऊपर "नासमझी" का बोझ प्रभावशाली रूप से समाप्त हो जाएगा। तथापि,

यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अलावा, कुछेक ऐसे और मामले हैं जो कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने के लिए किसी भी प्रकार के कार्य पर विचार करते समय विचारार्थ स्वयं ही तत्काल सामने आए हैं। दल कार्यान्वयन करने के लिए इनका भी सुझाव देना चाहेगा।

### दाखिले की आयु

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भारत में छात्र अधिकांश विकसित देशों के अपने साथी छात्रों की तुलना में कम आयु से ही स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। 4 अथवा 5 वर्ष की आयु में, आयु में एक वर्ष के अंतर से भी किसी बच्चे की मानसिक क्षमताओं में काफी फर्क पड़ जाता है। एक अधिक परिपक्व बालक सीखने की आवश्यकताओं का सामना आसानी से कर सकता है। स्कूलों में विशेषकर पूर्व-प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जल्दी दाखिल कराने का प्रभाव यह है कि वे पाठ्यचर्या में की गई माँगों का सामना करने के अयोग्य होते हैं और इसके परिणामस्वरूप वे व्यक्तिगत अक्षमता की स्थिति में शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत करते हैं। जैसाकि यशपाल समिति ने कहा है, इसका न सीख पाने के बोझ के प्रति महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह वांछनीय होगा कि पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं और प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की न्यूनतम आयु को एक वर्ष और बढ़ाने पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

### शिक्षण दिवस

कोठारी आयोग ने 200 शिक्षण दिवसों की सिफारिश की है। परंतु शिक्षण दिवसों की वास्तविक संख्या 125-150 है। चूँकि पाठ्यचर्या इस आधार पर बनाई जाती है कि 200 शिक्षण दिवस उपलब्ध होंगे, इसलिए इसका एकमात्र अर्थ यह है कि या तो पाठ्यचर्या का एक भाग शिक्षक द्वारा पूरा नहीं कराया जाता है अथवा यह कि वह ऐसी जल्दबाजी से इसे पूरा करता है कि जिससे छात्रों को सीमित समय में बहुत अधिक विषय-वस्तु को समझने योग्य बनने में कठिनाई उत्पन्न होती है। किसी एक वर्ष में 200 दिवसों तक शिक्षण दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने से प्रतिदिन का पढ़ाई का भार निःसंदेह पर्याप्त रूप से कम होगा तथा इससे स्तर में भी सुधार होगा।

## कक्षा-कक्ष सुविधाएँ

देश में काफी बड़ी संख्या में स्कूलों में कक्षा-कक्षों में केवल सुविधाएँ ही नहीं हैं बल्कि स्वयं कक्षा-कक्ष भी समग्र रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। इससे अनिवार्य रूप से अध्यापन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, और इसके कारण, अध्ययन पर भी प्रभाव पड़ता है। यशपाल समिति ने सिफारिश की हैं और हम उसका समर्थन करते हैं कि इस रिपोर्ट से पहले जो यह सिफारिश की गई थी कि स्कूलों की मान्यता/ संबद्धन के लिए स्कूली सुविधाओं के संबंध में जो मानदंड निर्धारित किए थे उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। तथापि, चूँकि सरकार अधिकांश स्कूलों के लिए मुख्य वित्त पोषण एजेंसी है, इसलिए स्कूलों में कक्षा-कक्षों की उपलब्धता और शिक्षक सहायक सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए एक सार्थक अभियान चलाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों के लिए, भारत सरकार आपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक एक विशाल कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है और 8वीं योजना में इसके अंतर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं को भी शामिल किया जा रहा है। माध्यमिक स्तर पर, भारत सरकार विज्ञान उपस्कर में सुधार लाने के लिए स्कूलों की सहायता के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रही है। तथापि, इससे भी अधिक मात्रा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह अत्यावश्यक होगा कि सरकार के प्रयास में व्यक्तियों तथा लोकोपकारी संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रदान किया जाए क्योंकि हमारी आवश्यकता बहुत विशाल है। यह उचित होगा कि सरकारें तथा स्कूल की प्रणालियाँ यह विचार करें कि वे किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों तथा लोकोपकारी संस्थाओं को स्कूल के विकास में मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।

## व्यावसायिक सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करना

एक ऐसा क्षेत्र जिसकी जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता है वह है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पाठ्यपुस्तक ब्यूरो तथा शिक्षा बोर्ड जैसे व्यावसायिक निकाय की गुणवत्ता में सुधार। जो पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों तथा परीक्षाओं के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ये वे निकाय हैं जिन्हें भार की समस्या की आखिरकार समझना होगा। केन्द्र द्वारा प्रायोजित शिक्षक-शिक्षा योजना के अन्तर्गत, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

परिषदों को सुदृढ़ करने का एक संघटक है जिसे प्राथमिक आधार पर लिया जाना चाहिए।

**व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं का प्रभाव**

यह विषय समिति के विचारार्थ विषयों में से एक था जिस पर रिपोर्ट में चर्चा नहीं की गई है। केवल इस मामले को स्कूल एवं उच्च शिक्षा से बनाई गई समिति के पास विचार करने के लिए भेज सकता है। समिति का दूसरा विचारार्थ विषय "औपचारिक मान्यता प्रदान करने तथा खेल-कूद और सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर क्रियाकलापों के प्राथमिकता जैसे उपायों .....से सम्बन्धित था।" केब की एक समिति इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है तथा उसकी रिपोर्ट केब के पास शीघ्र आने की आशा है।

**कार्यान्वयन के लिए समय-सारणी**

जहाँ तक उपयुक्त पाई गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु एक समय-सारणी बनाने का संबंध है, यह दल महसूस करता है कि सिफारिशें दीर्घकालिक प्रकृति की हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ इस दल की रिपोर्ट 15.10.93 को आयोजित होने वाली केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाए। इस प्रकार से, यह उचित होगा कि समिति की सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ( सी.ए.बी.ई. ) की मंजूरी के लिए प्रतीक्षा की जाए और इसके बाद केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु एक समय-सारणी बनाई जाए।

*सं. एफ. 11-30/93–स्कूल–4*

**भारत सरकार**
**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**
**शिक्षा विभाग**

नई दिल्ली, दिनांक 25.8.93

**आदेश**

**विषय : स्कूली विद्यार्थियों पर शिक्षा के बोझ को कम करने के उपायों का सुझाव देने के लिए दिनांक 1.3.92 को गठित की गई राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की जाँच करने के लिए एक दल का गठन किया जाना।**

स्कूली विद्यार्थियों पर शिक्षा के बोझ को कम करने के उपायों का सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में दिनांक 1.3.92 को एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई, 1993 को प्रस्तुत कर दी है। यह निर्णय लिया गया है कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की संभाव्यता तथा कार्यान्वयन अनुसूची की जाँच करने के लिए एक दल का गठन किया जाए :

2. दल में निम्नलिखित शामिल होंगे :

| | |
|---|---|
| (i) श्री वाई. एन. चतुर्वेदी<br>अपर सचिव | *अध्यक्ष* |
| (ii) संयुक्त सचिव ( स्कूल ) | *सदस्य* |
| (iii) डा. जे. एस. राजपूत<br>संयुक्त शिक्षा सलाहकार ( ई.ई. ) | *–वही–* |

(iv) प्रो. ए. के. शर्मा — *सदस्य*
संयुक्त निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.

(v) डा. (श्रीमती) आर. मुरलीधरन — *—वही—*
प्रोफेसर और अध्यक्ष
स्कूल-पूर्व तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एन.सी.ई.आर.टी.

(vi) श्री वी. शंकर सुब्बयन — *—वही—*
शिक्षा सचिव
तमिलनाडु

(vii) श्री अभिमन्यु सिंह — *—वही—*
शिक्षा सचिव
राजस्थान

(viii) श्री एच. आर. शर्मा — *—वही—*
निदेशक ( एकेडेमिक ) सी.बी.एस.ई.

(ix) श्री डी. वी. शर्मा — *—वही—*
सचिव, भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड
परिषद् (सी.ओ.बी.एस.ई.)

(x) श्री ए. बनर्जी — *सदस्य-सचिव*
उप सचिव ( स्कूल )

3. यह दल राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विश्लेषण करेगा और सिफारिशों में पाई गई संभावनाओं के बारे में सिफारिशों के कार्यान्वयन की संभाव्यता और नियत किए गए समय के बारे में अपने विचार व्यक्त करेगा। इस आदेश के जारी होने के एक महीने के अंदर दल अपने विचार और कार्यान्वयन अनुसूची बताएगा।
4. दल अपनी कार्य पद्धति और कार्य करने का तरीका तैयार करेगा।

*ह./-*
**ए. बनर्जी**
*उप सचिव*

1. अपर सचिव के निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव ( एस. ) के निजी सचिव

3. संयुक्त शिक्षा सलाहकार ( ई.ई. ) के निजी सचिव
4. प्रो. ए. के. शर्मा, संयुक्त निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.
5. डा. (श्रीमती) आर. मुरलीधरन, प्रो. और अध्यक्ष, स्कूल-पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.
6. श्री वी. शंकर सुब्बयन, शिक्षा सचिव, तमिलनाडु
7. श्री अभिमन्यु सिंह, शिक्षा सचिव, राजस्थान
8. श्री एच. आर. शर्मा, निदेशक ( एकेडेमिक ) सी.बी.एस.ई.
9. श्री डी. बी. शर्मा, सचिव, भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद्
10. श्री ए. बनर्जी, उप सचिव ( एस. )

अनुबंध–ख

## दिनांक 23.9.93 और दिनांक 24.9.93 को हुई दल की बैठकों में भाग लेने वालों की सूची

1. श्री वाई. एन. चतुर्वेदी — *अध्यक्ष*
   अपर सचिव
   शिक्षा विभाग
2. श्री आर. सी. त्रिपाठी
   सलाहकार ( शिक्षा )
   योजना आयोग
3. श्री प्रियदर्शी ठाकुर
   संयुक्त सचिव ( स्कूल )
   शिक्षा विभाग
4. प्रोफेसर ए. के. शर्मा
   संयुक्त निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
5. डा. (श्रीमती) आर. मुरलीधरन
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   स्कूल-पूर्व तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
6. श्री अभिमन्यु सिंह
   शिक्षा सचिव
   राजस्थान सरकार
7. श्री यू. के. सिन्हा
   निदेशक ( शिक्षक शिक्षा )
   शिक्षा विभाग

NIEPA DC
D07966

LIBRARY & DOCUM[illegible]
National [illegible]titute of [illegible]
Pl[illegible] [illegible]d Administr[illegible]
17-B, [illegible] Aurobindo Marg,
N[illegible]-110016
D[illegible] D-7966
Date .... 31-[illegible]-94

8. श्री एच. आर. शर्मा
   निदेशक ( शैक्षिक )
   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
   ( सी.बी.एस.ई. )
9. श्री. डी. वी. शर्मा
   सचिव
   भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद्, ( सी.ओ.बी.एस.ई. )
10. श्री ए. बनर्जी
    उप सचिव ( स्कूल )
    शिक्षा विभाग